छात्र संघ चुनाव–2016 से संबंधित कुछ जानकारियाँ

1. अलग–अलग पद के लिए अलग–अलग नामांकन पत्र दाखिल किए जायेंगे। इच्छुक उम्मीदवार को संबंधित महाविद्यालय/संस्थान से नामांकन पत्र तीन सेट में दिए जायेंगे।

2. नामांकन पत्र के पीछे निर्वाची पदाधिकारी (Returing Officer) का हस्ताक्षर एवं क्रम सं॰ निर्दिष्ट होगा।

3. विश्वविद्यालय विभाग छात्र संघ चुनाव हेतु नामांकन पत्र स्नातकोत्तर रसायन शास्त्र विभाग में दिए जायेंगे।

4. नामांकन पत्र अधिकतम तीन सेट में दाखिल किए जा सकते हैं। अलग–अलग सेट में अलग–अलग प्रस्तावक का होना आवश्यक होगा। नामांकन पत्र के साथ पहचान पत्र एवं मैट्रिक सर्टिफिकेट की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।

5. प्रस्तावक एवं उम्मीदवार का नाम मतदाता सूची (Electoral Roll) में होना चाहिए तथा भरे हुए नामांकन पत्र पर दोनों का हस्ताक्षर आवश्यक है।

6. वैसे नामांकन पत्र जिसके पीछे निर्वाची पदाधिकारी (Returing Officer) का हस्ताक्षर नहीं होगा वो नामांकन पत्र अमान्य होंगे।

7. मत पत्र (बैलेट पेपर) का नमूना वेबसाईट पर उपलब्ध है।

8. राँची विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव परिनियम, राँची विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव परिनियम (संशोधन) तथा यू॰ जी॰ सी॰ द्वारा प्रेषित लिंगदोह समिति की अनुशंसाएँ विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर उपलब्ध है जिनका छात्र संघ चुनाव–2016 में अनुपालन किया जायेगा।